राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गृह (सामान्य) विभाग
5वां तल दिल्ली सचिवालय आई.पी. एस्टेट दिल्ली – 110 002

सं. एफ 6/21/2018-गृह(सा.)/ दिनांक

सेवा में

वरिष्ठ सचिव (विधान सभा)
विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली

विषय: विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 191 जो कि दिनांक 8/8/2018 को पूछा जाना है।

महोदय,

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की ... प्रतियां सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उप सचिव (गृह-सा.)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सं. एफ 6/21/2018-गृह(सामान्य)/ 4888 दिनांक 6/8/18
प्रतिलिपि प्रेषित है:

1. निजी सचिव, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. सचिव, गृहमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ... 150 प्रतियां।
5. निजी सचिव, प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

06.08.18

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या-191 - प्रश्नकर्त्ता श्री विजेन्द्र गुप्ता, एम.एल.ए. ।

	प्रश्न		उत्तर
(क)	दिल्ली की विभिन्न जेलों में कितने कैदियों की क्षमता स्वीकृत है और वर्तमान में इन जेलों में कुल कितने कैदी रखे गए हैं	(क)	दिल्ली की जेलों में कुल 10026 बंदियों को रखने की स्वीकृत क्षमता है जिसके विरूद्ध दिनांक 20.7.2018 को इन जेलों में 15454 बंदी रखे गए हैं ।
(ख)	पिछले तीन वर्षों में कैदियों ने कितनी बार कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की है और इसके परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए हैं	(ख)	पिछले तीन वर्षों में तीन बार मार्च-2017, सितम्बर-2017 एवं नवम्बर-2017 में कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी जिसमें कुछ बंदियों को चोटें आई थी । जिसके लिए उनके खिलाफ हरी नगर थाने में उचित कार्यवाही हेतु सूचना भी दर्ज करवाई गयी थी ।
(ग)	हाल के वर्षों में सरकार ने कानून और व्यवस्था की समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं	(ग)	जेलों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं को न्युनतम करने के लिए प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :- 1. जेलों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए नाम के पहले अक्षर के अनुसार एवं सुरक्षा की दृष्टि से बंदियों का वर्गीकरण कर अलग-अलग जेलों में रखने के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे बंदियों के ग्रुप बनाने की संभावना कम हो जाती है । 2. मानसिक परामर्श के लिए एन.जी.ओ. के द्वारा 60 विशेषज्ञों को अनुमति प्रदान की गई है जो कि जेलों में बंदियों की मानसिक हालत को सुधारने में मदद करेंगे । 3. क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या से निबटने के लिए नई जेलों का निर्माण भी किया गया है । 4. 436ए का क्रियान्वयन भी अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के द्वारा किया जाता है । 5. हर महीने एक लोक अदालत तिहाड़ जेल परिसर में लगाई जाती है जिसमें छोटे अपराध के बंदियों को उनकी स्वेच्छा से निष्पादन हेतु रखा जाता है । 6. बंदियों को लीगल एड की सुविधाएँ प्रदान करना । 7. अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग भी जेलों में किया जा रहा है। 8. सी.सी.टी.वी. कैमरों का उपयोग भी इन समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।
(घ)	विचाराधीन कैदियों की उचित चिकित्सकीय देखभाल तथा भोजन को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध हैं	(घ) एवं (ड)	दिल्ली की सभी जेलों में एक औषधालय हैं इसके अतिरिक्त कारागार संख्या-3 में 120 बिस्तरों का एक अस्पताल भी है । इन औषधालयों एवं अस्पताल में 85 डॉक्टर्स एवं 150 पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है जो कि

3/8/18
B.K. Puri,
Deputy Secretary,
Home General Department,
Govt. of NCT of Delhi,
5th Level, Delhi Secretariat
I.P. Estate, Delhi-110002

			बंदियों को 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं । नैदाानिक उपचार के लिए एक्स-रे, ई.सी.जी. एवं अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ डेन्टल, आँख-नाक-कान के लिए क्लिनिक भी लगाए जाते हैं । इसके अतिरिक्त बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष उपचार प्रदान करने के लिए सुपर स्पेश्लयटी अस्पतालों में भी भेजा जाता है । कारागार विभाग द्वारा स्थापित सभी औषधालय में एम.आई.रूम भी हैं । जिसमें 10 से 20 बिस्तरो तक का प्रावधान है। जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को दिया जाने वाला भोजन मेडिकल ऑफीसर एवं जेल के अधिकारियों द्वारा जाँचा जाता है । बंदियों को जेल में दिये जाने वाले खाने का डाइट चार्ट संलग्न है ।
(ड)	विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, और	(ड)	1. कैदियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जेलों की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये गये हैं जिससे किसी भी स्थान पर उत्पन्न हुई स्थिति को काबू किया जा सके । 2. जेल के प्रवेश द्वार बंदियों की सर्च लेने के अतिरिक्त जेल के अंदर वार्डों में नियमित रूप से सर्च की जाती है एवं किसी भी प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे मैटल से बनी वस्तुए जो किसी अन्य बंदी को नुकसान पहुचा सकती है, को जेल में जाने से रोका जा सकता है । 3. जेलों के प्रवेश द्वार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर, एक्स-रे स्कैनर भी स्थापित किए गए है जिनके द्वारा बंदियों द्वारा लाये गये सामान की गहन रूप से सर्च की जा सकती है । 4. जेलों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए नाम के पहले अक्षर के अनुसार एवं बंदियों के वर्ग के अनुसार अलग-अलग जेलों में रखने के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे बंदियों के ग्रुप बनाने की संभावना कम हो जाती है । 5. किशोर बंदियों को अलग से कारागार संख्या-5 में रखा जाता है जिससे उनको अन्य आपराधिक प्रवृति के वयस्क बंदियों से अलग रखा जा सके । 6. महिला बंदियों सुरक्षा की दृष्टि से कारागार संख्या-6, तिहाड़ एवं कारागार संख्या-16 मंडोली में अलग रखा जाता है ।
(च)	सरकार की उनके पुनर्वास की क्या योजनाएं हैं	(च)	सरकार बंदियों को जेल से छुटने के बाद समाज में स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तिय सहायता प्रदान करती हैं जिससे बंदी जेल के दौरान सीखे गए कौशल को इस्तेमाल कर अपना कोई काम स्थापित कर सके ।

03/08/18
B.K. Puri,
Deputy Secretary,
Home General Department,
Govt. of NCT of Delhi,
5th Level, Delhi Secretariat
I.P. Estate, Delhi-110002

DIET CHART FOR PRISONERS LODGED IN TIHAR JAIL

DIET PROVIDED TO R.I. CONVICTS

S.NO.	ITEM	QUANTITY
1.	Atta	500 grams
2.	Biscuits	30 grams

DIET PROVIDED TO UT AND S.I. CONVICTS

1.	Atta	400 grams
2.	Biscuits	25 grams

ITEMS PROVIDED TO ALL CONVICTS /UNDERTRIALS PER DAY

S.NO.	ITEM	QUANTITY
1.	Bread	02 pieces
2.	Dal	90 grams
3.	Condiments	07 grams
4.	Salt	15 grams
5.	M.Oil	25 grams
6.	Vegetable	250 grams
7.	Rice	400 grams
8.	Gur	60 grams
9.	Imli	3.5 grams
10.	Milk for Tea	50 grams
11.	Tea leaf	03 grams
12.	Sugar	25 grams
13.	Potatoes with Bread (For Breakfast)	50 grams
14.	Rice Kheer (Twice a week)	10 grams
15.	Kheer Sugar (Twice a week)	07 grams
16.	Kheer Milk (Twice a week)	25 grams
17.	Soyabean (Weekly)	25 grams

DIET PROVIDED TO THE CHILDREN PER DAY

Hon'ble Supreme Court in R.D. Upadhyay Vs. State case has mentioned the following diet for the children living with their mother on the recommendation of expert Committee. Children from the ages of 6-12 months, 1-3 years and 4-6 years, respectively : Cereals and Millets 45, 60-120 and 150-210 grams respectively; Pulses 15, 30 and 45 grams respectively; Milk 500 ml (unless breast fed, in which case 200 ml); Roots and Tubers 50, 50 and 100 grams respectively; Green Leafy Vegetables 25, 50 and 50 grams respectively; Other Vegetables 25, 50 and 50 grams respectively; Fruits 100 grams; Sugar 25, 25 and 30 grams respectively; and Fats/Oils (Visible) 10, 20 and 25 grams respectively.

07/08/13
B.K. Puri,
Deputy Secretary,
Home General Department,
Govt. of NCT of Delhi,
5th Level, Delhi Secretariat
I.P. Estate, Delhi-110002